सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 1794/9–8–2013–46ज/2013

प्रेषक

यशवन्त राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
उ0प्र0 लखनऊ।

4. निदेशक,
सी0एण्ड डी0एस0,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 21 जून, 2013

विषयः मा0 उच्चतम/मा0 उच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिकाओं/रिट याचिकाओं में समयबद्ध रूप से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने एवं मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में समय से कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप अवमानना याचिका दायर होने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सख्या–1387/9–8–13 दिनांक 10.05.2013 तथा अनुस्मरण पत्र संख्या–1719/9–8–2013–46 ज/2013 दिनांक 11 जून, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें समस्त नागर निकायों में दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तक प्राप्त होने वाली सभी रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन को दिनांक 31.05.2013 तक शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी करते हुए रिट याचिकाओं में प्रभावी पैरवी किये जाने तथा रिट याचिकाओं की पैरवी में शिथिलता अथवा अर्कमण्यता बरतने वाले अधिकारी के विरूद्व परीक्षणोंपरांत यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किये गये थे कि समस्त जनपदों में प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनका दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या व ई–मेल एड्रस भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10 मई, 2013 के आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद टूण्डला, नगर पालिका परिषद मोहम्मदी खीरी, नगर पालिका परिषद, जालौन तथा नगर पंचायत मीरापुर, मुजफ्फरनगर, मसवासी रामपुर के द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति एवं जिलाधिकारी खीरी द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जाने की सूचना

शासन को उपलब्ध करायी गयी है। इससे यह परिलक्षित होता है कि प्रदेश के समस्त जनपदों/नागर निकायों द्वारा शासन के आदेशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। यह अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति तथा शासन के आदेशों की अवहेलना प्रदर्शित करता है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 10.05.2013 के अनुपालन में समस्त नागर निकायों, निदेशालय, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा सी.एण्ड डी.एस. के कार्यालयों में दिनांक 30.04.2013 तक प्राप्त होने वाली सभी रिट याचिकाओं/अवमानना याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष नहीं है, इसका प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 30.06.2013 के अपरान्ह 5.00 बजे तक शासन तथा निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को अत्यन्त ही गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3– इसके अतिरिक्त जिन जनपदों/निदेशालय के स्तर पर रिट याचिकाओं की पैरवी हेतु नोडल अधिकारी नामित नहीं किये गये हो वहॉ पर नोडल अधिकारी का नामांकन करते हुए उनका दूरभाष संख्या अथवा मोबाईल नं0 तथा ई–मेल एड्रस उपलब्ध कराया जाय तथा लम्बित रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में अभियान चलाकर कार्यवाही की जाय तथा नागर निकायों द्वारा दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं को मुख्य स्थायी अधिवक्ता को अवलोकित कराते हुए उसे दाखिल किये जाने के पश्चात मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सम्बन्धित रिट याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है ताकि सभी स्तर पर यह स्पष्ट हो सके कि लम्बित रिट याचिकाओं प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही की गयी है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता से प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप भी संलग्न है।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

संख्या- 1794 (1)/9-8-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।

2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता-।। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को, दिनांक 06.06.2013 को लखनऊ में सम्पन्न हुई बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नागर निकायों द्वारा रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र तैयार किये जाने/प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

3- समस्त विशेष सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, नगर विकास विभाग।

4- समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग।

5- कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(यशवन्त राव)
विशेष सचिव।

प्रारूप

क्रम संख्या	जनपद/ नागर निकाय	रिट याचिका की संख्या	रिट याचिका का वर्ष	रिट याचिका में वादी एवं प्रतिवादी गण		रिट याचिका की विषयवस्तु/ अनुतोष	सी0ए0 दाखिल करने की तिथि
				वादी	प्रतिवादी		
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रमाण–पत्र

नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद———————— के अधिशासी अधिकारी/कर्मचारी श्री ———————— द्वारा उपर्युक्त विवरण से सम्बन्धित रिट याचिका में श्री———————— अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा तैयार किये गये प्रतिशपथ पत्र का अवलोकन मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य स्थायी अधिवक्ता–।। के कार्यालय द्वारा कर लिया गया है जो शासन के हितों को दृष्टिगत रखते हुए दायर किया गया प्रतिशपथ पत्र तथ्यों एवं विधि के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर (मोहर सहित)
मुख्य स्थायी अधिवक्ता–।।
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

friday m